(24) FRA IW/CR

कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,शाखा (वन भू– अभिलेख) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्र0/वन अधि./ 784 भोपाल, दिनांक 18/09/2013

पृ.क्रं.	
पिछला	अगला

प्रति

सचिव,
वन विभाग,
मंत्रालय वल्लभ भवन ,भोपाल
मध्यप्रदेश।

विषयः वनाधिकार के तहत पट्टे पर प्राप्त भूमि का कब्जा दिलाये जाने बाबत।

संदर्भः मध्यप्रदेश शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक /एफ 25–03 /2013/10–3 दिनांक 12.04.2013

———

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। माननीय मुख्य मंत्री जी के समाधान आन लाईन कार्यक्रम दिनांक 05.05.2013 में सिवनी जिले के ग्राम पंचायत झामर बंजरटोला एवं केरपानी के ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत पर मुख्य वन संरक्षक सिवनी वृत्त सिवनी द्वारा कराई गई जॉच के प्रतिवेदन के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ग्राम केरपानी के 5 व्यक्तियों (बराती वल्द सद्दू गोंड, सिब्बू हरिप्रसाद गोंड,तीरथ वल्द चोखे गोंड, देवसिंह वल्द लेखराम गोंड तथा दर्शन वल्द गोकल प्रसाद गोंड) द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत फर्जी तरीके से वन अधिकार पत्र उत्तर सिवनी वनमंडल के कक्ष क्रमांक RF-7 (पुराना कक्ष 523) में प्राप्त किये गये जबकि यह वन भूमि वन सुरक्षा समिति झामर के अंतर्गत आती है।

ग्राम पंचायत झामर के ग्रामीणों द्वारा शिकायत में लेख किया गया है कि वन अधिकार पत्र प्राप्त उक्त 5 व्यक्तियों के पास निजी भूमि स्वामी हक की भूमि होने के कारण वे भूमिहीन नहीं है तथा उनका वन भूमि पर कोई कब्जा भी नहीं है। उक्त व्यक्त्यिों को वन अधिकार पत्र देने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत झामर के बजाय ग्राम पंचायत खमरिया से पारित कराया गया जो स्पष्ट रूप से कूटरचना एवं षडयंत्र होने का प्रमाण है।

जॉच प्रतिवेदन में लेख है कि उक्त 5 वन अधिकार पत्र धारकों की भूमि पर खेती करने अथवा सीमा/मेंढ़ बनाने के कोई निशान नहीं हैं। इस भूमि पर कहीं–कहीं सागौन, साजा, धावड़ा, लेंडिया तथा आंवला के वृक्ष तथा पलाश की झाड़ियॉ पूरे क्षेत्र में हैं। उक्त वन अधिकार पत्र धारकों का इस भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा बल्कि अधिकार पत्र बनवाने के उपरान्त कब्जा की मांग की जा रही हैं।

वन अधिकार अधिनियम 2006 में प्रदाय किये गये अधिकार पत्रों पर इस अधिनियम में अतर्गत कोई कार्यवाही किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है परन्तु इसका तात्पर्य यह नही है कि कूटरचना अथवा त्रुटि से अधिकार पत्र जारी करने के उपरान्त उसके निरस्ती की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। त्रुटि से अथवा कूटरचित अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर यदि किसी अपात्र व्यक्ति को वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति से अधिकार पत्र प्राप्त हो जाता है तो इस त्रुटि को संशोधित करने के लिए अधिकार पत्र जारी करने वाले अधिकृत अधिकारी उसके द्वारा जारी किये गये अधिकार पत्र को निरस्त किये जाने की कार्यवाही कर सकता है जो विधि अनुकूल भी है। ऐसी न्याय संगत कार्रवाई करने के लिए अधिनियम में प्रावधान का उल्लेख होना आवश्यक नहीं है।

विषयांकित प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त सिवनी द्वारा की गई जॉच में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर अपात्र व्यक्तियों द्वारा अनियमित ढंग से प्राप्त किये गये अधिकार पत्रों को निरस्त करने हेतु यथोचित कार्रवाई करने के लिए शासन स्तर से वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन हेतु नोडल आदिम जाति कल्याण विभाग को लेख किया जाना प्रस्तावित है। फर्जी ढंग से प्राप्त किये गये अधिकार पत्रों में उल्लेखित वन भूमि पर अपात्र लोगों को काबिज नहीं होने देने हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारियों द्वारा विधि अनुकूल कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश जारी किया जाना प्रस्तावित है।

18/09/13

(जे0पी0शर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन–भू अभि0)

मध्यप्रदेश,भोपाल

पृष्ठा.क्र0/वन अधि./ 784 भो   भोपाल, दिनांक 18/09/2013

प्रतिलिपिः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) की ओर विषयांकित प्रकरण में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपात्र व्यक्तियों द्वारा फर्जी ढंग से प्राप्त किये गये अधिकार पत्रों में उल्लेखित वन भूमि पर काबिज नहीं होने देने बाबत् आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

18/09/13

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन–भू अभि0)

मध्यप्रदेश,भोपाल

19.9.13

19/9/13